संकुल स्तरीय संगठन हेतु मार्गदर्शिका

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान"
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
छत्तीसगढ़
www.bihan.gov.in

संकुल स्तरीय संगठन हेतु मार्गदर्शिका

संकुल स्तरीय संगठन – क्यों ? छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" के माध्यम से प्रारंभ में मोहल्ला एवं ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया गया। तत्पश्चात स्वयं सहायता समूहों के कार्यो की परिसीमा को ध्यान में रखते हुए (5-8) समूहों को मिलाकर ग्राम संगठनों का निर्माण किया गया। ग्राम संगठन सफलतापूर्वक स्वयं सहायता समूहों के बीच आंतरिक लेन-देन, सूक्ष्म ऋण योजनाओं की समिक्षा, सामुदायिक निवेश निधि की वापसी, स्वयं सहायता समूह का अनुश्रवण एवं क्षमता विकास, व्यक्तिगत समस्याओं, ग्राम स्तरीय समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा, सामुदायिक संसाधन का सरंक्षण करना आदि गतिविधियाँ कर रही हैं। परन्तु ग्राम संगठन का कार्यक्षेत्र एवं सदस्यता निश्चित होती है, जिससे उसकी कार्यक्षमता समिति हो जाती है अतः संकुल संगठन की आवश्यकता महसूस की गई।

मिशन के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्राम संगठन के स्तर पर आजीविका गतिविधियाँ एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सहकारीता के माध्यम से उत्पादन एवं बिक्री, प्रोड्यूसर (उत्पादक) समूहों के माध्यम से उत्पादन एवं बिक्री तथा अन्य आजीविका गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मिशन के प्रयास से मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ाव, दिव्यांगों का सरकारी योजना से जुड़ाव आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। संकुल क्षेत्र में उपस्थित अन्य सामुदायिक संगठनों (प्रोड्यूसर ग्रुप/कम्पनी डयेरी सहकारी समिति) एवं कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करके, संकुल संगठन सभी गतिविधियों का एकीकरण करने का प्रयास करेगा जिससे सदस्यों का जुड़ाव अधिकतम कार्यक्रमों के साथ हो सके।

परिकल्पना है कि (3-4) वर्ष में संकुल संगठन की क्षमता में वृद्धि होगी एवं वह मिशन की सहायता से चलने वाली गतिविधियों जैसेः माईक्रोफाईनेंस, माईक्रोइंश्योरेंस, आजीविका, सरकारी योजनाओं, बिहान समर्थित अनुदान आदि का संचालन एवं ब्लाक मिशन प्रबंधन इकाई के अधिकतम जिम्मेवारियों को वहन करने में सक्षम होगी। इस व्यवस्था में संकुल स्तरीय संगठन व्यवसाय एवं सेवा शुल्क मॉडल के रूप में कार्य करेंगा, जिससे संकुल स्तरिय संगठन में स्थायित्व एवं निरंतरता आएगी। संकुल स्तरीय संगठन के प्रारम्भीक दौर में संकुल सदस्यों, समन्वयकों, सीआरपीयों एवं मिशन कर्मीयों को प्रत्येक स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन की बैठक में संकुल स्तरीय संगठन की आवश्यकता के बारे में चर्चा करना चाहिए।

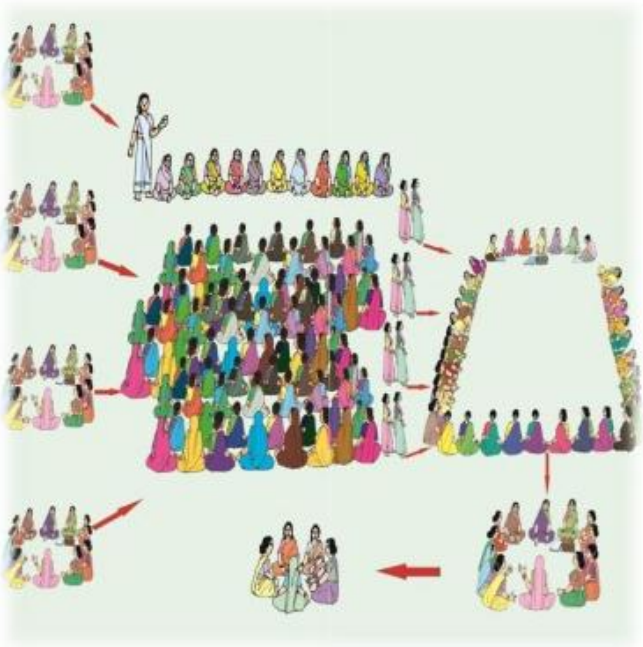

उन्हें ग्राम संगठन के सदस्यों के साथ ग्राम संगठन द्वारा किये गये कार्यो पर चर्चा करना चाहिए। ग्राम संगठन को संकुल स्तरीय संगठन से जो सहयोग चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए।

ग्राम संगठन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं, जैसे –

- ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है तथा उचित मार्गदर्शन देता है।
- ग्राम संगठन बैंक से समन्वय स्थापित कर समूह के सदस्यों के लिए पूँजी की व्यवस्था करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।
- ग्राम संगठन, ग्राम स्तर पर सामाजिक मुद्दों जैसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नशाखोरी, स्वच्छता, पोषण, बाल विवाह, बाल मजदूरी इत्यादि के बारे में

चर्चा करने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है तथा समस्याओं के समाधान में सहयोग करता है।

- समूहों द्वारा तैयार सूक्ष्म ऋण योजना की समीक्षा कर मिशन कार्यालय से सीआईएफ की राशि मांग कर समूहों को उपलब्ध कराती है।
- समूहों द्वारा लिये गये ऋण को तय वापसी नियमानुसार किया जा रहा है अथवा नही आदि की निगरानी करती है।
- ग्राम संगठन के कार्यकर्ताओं जैसे सीआरपी, पुस्तक संचालक आदि के कार्यो का मूल्यांकन करती है।
- ग्राम संगठन नए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करती है।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ स्वयं सहायता समूहों का जुड़ाव कराती है। स्वयं सहायता समूहों में उत्पन्न मतभेदों का निपटारा करती है एवं उनका क्षमता विकास / प्रशिक्षण भी कराती है।
- ग्राम संगठन के उपसमितियों के कार्यो का मूल्यांकन करती है।

संकुल स्तरीय संगठन का कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. सामुदाय आधारीत स्त्रोत व्यक्तियों का चयन :- ग्राम संगठनों द्वारा चिन्हित समुदाय आधारित स्त्रोत व्यक्तियों का अंतिम चयन संकुल स्तरीय संगठन द्वारा किया जाएगा। ग्राम संगठन चिन्हित सीआरपी का नाम एवं विस्तृत बायोडाटा संकुल स्तरीय संगठन को भेजेगा। संकुल स्तरीय संगठन सीआरपी के चयन के लिए एक कमेटी / समिति का निर्माण करेगा। चयन समिति कार्यानुभव, संगठन में योगदान, संगठन की प्रगति एवं जानकारी आदि के आधार पर सदस्यों का चयन करेगी। समिति चयन के लिए लिखित एवं मौखिक प्रक्रिया का आयोजन भी कर सकती है। चयन के पश्चात संकुल स्तरीय संगठन सीआरपीयों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण करायेगा।

2. ग्राम संगठनों एवं सीआरपीयों का उन्मुखिकरण एवं प्रशिक्षण :- संकुल स्तरीय संगठन के प्रतिनिधि / विभिन्न उपसमितियों के सदस्य ग्राम संगठन के आयोजित बैठक में भाग लेगें एवं विभिन्न क्षेत्रों (कम्पोनेंट) जैसेः बैंक लिंकेज, बैंक ऋण वापसी, प्रारंभिक पूंजीकरण, आजीविका, सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, माईक्रोइंश्योरेंस, ग्राम संगठनों के गुणवत्ता आदि सूचकों के आधार पर ग्राम संगठनों की प्रगति का समीक्षा करेगें एवं कार्य प्रगति में लाने के लिए आवश्यक रणनीति भी तैयार करेगें। इस क्रम में संकुल स्तरीय संगठन, ग्राम संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं, विभिन्न कार्य के सीआरपीयों, बुक कीपर एवं अन्य सीआरपी के प्रशिक्षण की जरूरतों का मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। संकुल संगठन ग्राम संगठन की वित्तीय एवं प्रबंधकीय क्षमता का भी मूल्यांकन करेगा एवं कार्य प्रगति के लिए आवश्यक रणनीति बनायेगा। संकुल संगठन ग्राम संगठन को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बनाने में भी मदद करेगा। संकुल संगठन ग्राम संगठनों के कार्ययोजना एवं बजट को अपने वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में सम्मिलित करेगा।
3. सीआरपीयों के कार्य का मूल्यांकन :- संकुल संगठन सीआरपीयों जैसें- समूह गठन हेतु (सक्रिय महिला), बुक कीपर, सीआरपी आदि के मासिक कार्य योजना के आधार पर उनके कार्य प्रगति का मासिक मूल्यांकन करेगा। सीआरपी, (सक्रिय महिला एवं ग्राम संगठन सहायिका) ग्राम संगठन के साथ जुड़कर कार्य योजना संबंधित ग्राम संगठन में बनाती हैं। ग्राम संगठन का दायित्व होगा कि संसाधन सीआरपीयों के कार्ययोजना की चर्चा संकुल संगठन में भी करें एवं एक प्रति संकुल संगठन में जमा करें। सामुदाय आधारित सीआरपीयों की कार्ययोजना संकुल संगठन स्तर पर बनेगी एवं संकुल संगठन इसकी चर्चा ग्राम संगठनों में भी करेगा। सामुदायिक सीआरपीयों की कार्य प्रगति असंतोषजनक होने के स्थिति में

संकुल सगठन, ग्राम संगठन एवं संबंधित सामुदायिक सीआरपी के कार्य में किसी तरह की समस्या आती है तो संकुल संगठन, ग्राम संगठन एवं संबंधित सामुदायिक संगठन समस्या का समाधान का प्रयास करेगा। इससे संगठन, ग्राम संगठन एवं अन्य सामुदायिक संगठन के बीच स्वस्थ समन्वय स्थापित होगा।

4. समूदाय आधारित स्त्रोत व्यक्तियों का विकासः- संकुल संगठन सीआरपीयों के चयन एवं उन्मुखीकरण के पश्चात उनके विकास के लिए प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण (अपने या दूसरे विकासखण्ड / जिला में) का आयोजन करेगा। शुरूआत में सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह का निर्माण (अपने या दूसरे विकासखण्ड में) या संबंधित कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। तत्पश्चात योग्यता, कार्यानुभव एवं अपने संगठन (समूह एवं ग्राम संगठन) की प्रगति के आधार पर उन्हें स्वयं सहायता का प्रशिक्षण, ग्राम संगठन का निर्माण, ग्राम संगठन का प्रशिक्षण, संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण, संकुल संगठन का प्रशिक्षण एवं विभिन्न मुद्दो/विषयों यथाः मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, सामुदायिक पोषण, दिव्यांगता आदि कार्य का जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह संकुल संगठन स्तर पर विभिन्न प्रकार के सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों का विकास होगा।

5. ग्राम संगठनों के गुणवत्ता :- कार्यो का मूल्यांकन

संकुल संगठन ग्राम संगठनों के कार्यो का मूल्यांकन निर्धारित गुणवत्ता सूचकों के आधार पर करेगा। संगठन के उप-समिति के सदस्य ग्राम संगठन अनुश्रवण एवं क्षमता विकास, आदि हेतु ग्राम संगठन के आयोजित बैठक में भाग लेगें एवं गुणवत्ता कार्यो का मूल्यांकन करेगें। गुणवत्ता सूचकों में अच्छे कार्य करने वाले ग्राम संगठन नजदीक के ग्राम संगठनों के लिए संसाधन ग्राम संगठन के रूप में कार्य करेगा एवं उन्हें

अपने कार्यानुभव के आधार पर गुणवत्ता विषयों में प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें ग्राम संगठन के गुणवत्ता सूचकों पर कार्य करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगा।

6. स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों का क्षेत्र भ्रमण :-

संकुल संगठन स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों के लिये क्षेत्र भ्रमण का आयोजन अपने या दूसरे विकासखण्डों/जिला में करेगा। क्षेत्र भ्रमण के दौरान समूह एवं ग्राम संगठन अपने कार्य, कार्यप्रणाली, उपलब्धि एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करेगें एवं एक-दूसरे से सीखेंगे। यदि कोई समूह या ग्राम संगठन किसी विषय जैसे- ग्राम संगठन का गुणवत्ता कार्य, ऋण वापसी, समूह का ग्राम संगठन में आरंभिक पूंजीकरण ऋण वापसी, समूह का बैंक ऋण वापसी, कोष का उपयोग, कृषि (श्री विधि), स्वास्थ एवं पोषण, सामाजिक समावेशन (SISD), जन-वितरण प्रणाली, माइक्रोइंश्योरेंश, मधुमक्खी पालन, मनरेगा एवं सरकारी समर्थित अनुदान योजनाओं के साथ जुड़ाव, नवाचार कार्यक्रम, अन्य आजीविका गतिविधियाँ आदि में अच्छा कार्य किया है, तो संकुल संगठन को ध्यान देना चाहिए कि समूहों एवं ग्राम संगठनों का क्षेत्र भ्रमण ऐसे ही समूह या ग्राम संगठन में कराए। इससे समूह एवं संगठन अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित एवं लामबंध होगें।

7. सामुदायिक निवेश कोष का प्रबंधन :-

सामुदायिक निवेश कोष संकुल स्तरीय संगठन का कोष है, इसके अतिरिक्त मिशन कार्यालय से प्रदाय राशि वीआरएफ का मैंनेजमेंट ग्राम संगठन के स्तर पर होता है। प्रारंभिक पूंजीकरण एवं आजीविका कोष के संदर्भ में समूह अपना माइक्रोप्लान या एमसीपी, ग्राम संगठन को जमा करेगा। ग्राम संगठन में ऋण कमेंटी की बैठक में समूहों के माइक्रोप्लान या एमसीपी पर चर्चा होगी एवं स्वीकृति के पश्चात ग्राम संगठन ऋण

आवेदन, माईक्रोप्लान या एमसीपी के साथ संकुल संगठन में जमा करेगी। संकुल संगठन ग्राम संगठन द्वारा जमा किये गए समूहों के माईक्रोप्लान या एमसीपी का अवलोकन कर प्राथमिकता एवं ग्राम संगठन के ऋण वापसी रिकॉर्ड के आधार पर ऋण राशि का चेक प्रदान करेगी। ग्राम संगठनों को ऋण प्रदान करने के उपरांत ऋण वापसी सूची के आधार पर ग्राम संगठनों की ऋण वापसी की समीक्षा करेगा। अगर, किसी ग्राम संगठन की ऋण वापसी सही नहीं है तो संकुल संगठन ग्राम संगठन को समय पर वापसी के लिए प्रेरित करेगा एवं ऋण वापसी के लिए रणनीति तैयार करेगा।

8. विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव :- संकुल संगठन ग्राम संगठनों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, बिहान समर्थित अनुदान एवं उनके अधिकार के बारे में जागरूक करेगा। जागरूकता के साथ-साथ संकुल संगठन सरकार के विकासखण्ड/जिला कार्यालय एवं पंचायत से समन्वय स्थापित कर योग्य सदस्यों को सरकार के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेगा। इस क्रम में संकुल संगठन, ग्राम संगठनों को योजना से संबंधित फार्म उपलब्ध कराने एवं फार्म को भरने में मद्द करेगा। ग्राम संगठनों द्वारा एकत्रित फार्मो को संकुल संगठन संबंधित विकासखण्ड/जिला कार्यालय में जमा करेगा। तत्पश्चात संकुल संगठन नियमित फॉलोअप कर सदस्यों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। संकुल संगठन पंचायत स्तर पर शिविर / कैंप आयोजित कर योग्य सदस्यों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी प्रयास एवं प्रेरित करेगा।

9. समूहों एवं ग्राम संगठनों का बैंको से जुड़ाव :- ग्राम संगठन, स्व-सहायता समूहों को बैंक खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज मे सहायता करता है। इस क्रम में संकुल संगठन संबंधित बैंक शाखाओं से समन्वय

एवं तालमेल स्थापित करेगा एवं समूहों को बैंक से जुड़ाव (खाता खोलना एवं क्रेडिट लिंकेज) में आनेवाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा।

इस संदर्भ में :-

- संकुल संगठन, ग्राम संगठनों को समूहों का बैंक खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज के लिए आवश्यक दस्तावेज बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।
- ग्राम संगठन समूहों को खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज संबंधित दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगा एवं एकत्रित करेगा।
- यदि बैंक शाखा सहयोगी प्रकृत्ति का है, तब ग्राम संगठन समूहों का बैंक खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज के दस्तावेजों को निरीक्षण कर स्वयं बैंक शाखा में जमा करेगा।
- यदि बैंक शाखा सहयोगी प्रकृति का नहीं है, तो ग्राम संगठन बैंक खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज संबंधित दस्तावेज संकुल संगठन में जमा करेगा। संकुल संगठन दस्तावेजों को निरीक्षण के उपरांत संबंधित बैंक शाखा में जमा करेगा एवं जल्द निष्पादन के लिए बैंक शाखा से नियमित संपर्क स्थापित करेगा। तत्पश्चात संकुल संगठन, ग्राम संगठनों को समय से समूह ऋण वापसी के लिए प्रेरित करेगा।
- बैंको के साथ समन्वय एवं तालमेल स्थापित कर संकुल संगठन, स्व-सहायता समूहों के खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज लाने के लिए कैम्प का आयोजन करेगा। इसके पूर्व ग्राम संगठनों के सहयोग से आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी संकुल संगठन करेगा।
- संकुल संगठन संबंधित बैंक शाखाओं के साथ मासिक बैठक का आयोजन करेगा एवं बैठक में समूहों के बैंक ऋण वापसी, समूहों को ऋण की जरूरत एवं नये समूहों के खाता खोलने संबंधित विषयों पर चर्चा करेगा। अगर समूहों का ऋण वापसी निर्धारित समय एवं किश्तों के आधार पर नहीं हो

रहा हैं, तो संकुल संगठन ग्राम संगठनों को समूह ऋण की समय पर वापसी के लिए प्रेरित करेगा एवं आवश्यक रणनीति तैयार करेगा। संकुल संगठन बैठक में समूहों के द्वारा बनायी गयी माईक्रोप्लानिंग / सूक्ष्म ऋण योजना एवं समूह प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी एवं बैंकों को समूह क्रेडिट लिंकेज के लिए आग्रह करेगा।

- संकुल सगठन, ग्राम संगठनों का निश्चित गतिविधि आधारित क्रेडिट लिंकेज कराने का भी प्रयास करेगा। समूहों एवं ग्राम संगठनों के बैंक लिंकेज के कार्य की देख-रेख एवं मूल्यांकन के लिए संकुल संगठन में बैंक लिंकेज समिति होगी। साथ ही बैंक लिंकेज के कार्य को गति देने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा (जहाँ समूहों का 50 से अधिक खाता है) में बैंक मित्र होगी, जो संकुल संगठन की देखरेख में कार्य करेगी। संकुल संगठन के प्रतिनिधि ब्लाक स्तरीय बैंकर्स कमिटि की बैठक में भी भाग लेगें एवं समूहों की ऋण वापसी एवं ऋण की जरूरतो पर आवश्यक चर्चा करेगें।

10. सामुदायिक प्रोक्योरमेंट :-

संकुल संगठन, ग्राम संगठनों को खाद्य पदार्थो, कृषि उत्पादक, बस्तुओं /उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं के गुणवत्ता के आकलन, भंडारण, बाजार से तालमेल/जुड़ाव एवं क्रय में मद्द करेगा।

11. ग्रांम संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों का ग्रेडिंग एवं आंतरिक अंकेक्षण:-

ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों में वित्तीय नियमितता एवं अच्छे नियमों को स्थापित करने के लिए संकुल संगठन, ग्राम संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों की ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) एवं आंतरिक अंकेक्षण करेगी। इस क्रम में :-

- संकुल संगठन मास्टर/रिर्सोस बुक कीपर (RBK) की सहयोग से ग्राम संगठन में बुक कीपर को नियमित खाता एवं दस्तावेज का संधारण करने के लिए सहयोग एवं प्रेरित करेगें।

- मास्टर बुक कीपर के (RBK) यहयोग से प्रत्येक 6 माह में ग्राम संगठनों की नियमित आंतरिक अंकेक्षण एवं ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) करेगा।
- संकुल संगठन, ग्राम संगठनों को बाह्य वार्षिक अंकेक्षण कराने में मदद करेगा।
- संकुल संगठन, ग्राम संगठन के बुक कीपर के सहयोग से पंचसूत्र / 11 सूत्र के आधार पर स्वयं सहायता समूहों का प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 6 माह में करेगा।
- संकुल संगठन, ग्राम संगठन के बुक कीपर के सहयोग से प्रत्येक 6 माह / 1 वर्ष में समूहों का आंतरिक अंकेक्षण करेगा। मास्टर बुक कीपर बुक कीपर अपना रिर्पोट ग्राम संगठन एवं संकुल संघ में जमा करेगे। संकुल संगठन संबंधित रिर्पोट का मूल्यांकन करेगा एवं ग्राम संगठन के साथ मिलकर रणनीति तैयार करेगा।

12. सामुदायिक संस्थागत सामाग्रीयों का इस्तेमाल :-

मिशन में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- संस्थागत विकास, वित्तीय साक्षरता, मनरेगा, दिव्यांगता, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सरकारी योजनाओं में जागरूकता, अन्य आजीविका गतिविधियों आदि का समूहों एवं समुदाय में क्रियान्वयन, जागरूकता एवं प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार का संसाधन समाग्रीयों का निर्माण किया गया है। संकुल संगठन सभी प्रकार के संसाधन समाग्रीयों का इस्तेमाल स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संगठन एवं समुदाय स्तर पर जागरूकता के लिये करेगा।

13. ग्राम संगठन में उत्पन्न विवादों/मतभेदों का समाधान करना :- यदि ग्राम संगठन अपने विवादो का समाधान खुद नहीं कर पाता है, तो संकुल संगठन विवादो के निपटारा में सहयोग करेगा। संकुल संगठन के प्रतिनिधि, ग्राम संगठन के कार्यकारिणी (EC) की बैठक में भाग लेंगे एवं

सर्वसहमति से विवादों का समाधान का प्रयास करेगा। विवादास्पद मामले को लिखित या मौखिक में ग्राम संगठन के कार्यकारिणी (EC) बैठक में रखा जाएगा। समस्या को चिह्नित/परिभाषित कर कार्यकारिणी (EC) के सदस्य उस पर विस्तृत चर्चा करेगी एवं प्रत्येक सदस्य अपना अभिमत देंगे। अंत में सर्वसहमति से विवादित मामले को सुलझाया जाएगा। अगर आम सहमति नहीं बन पाती है, तो बहुमत के आधार पर मामला को सुलझाया जाएगा। अगर आम सहमति नहीं बन पाती है, तो बहुमत के आधार पर मामला को सुलझाया जाएगा।

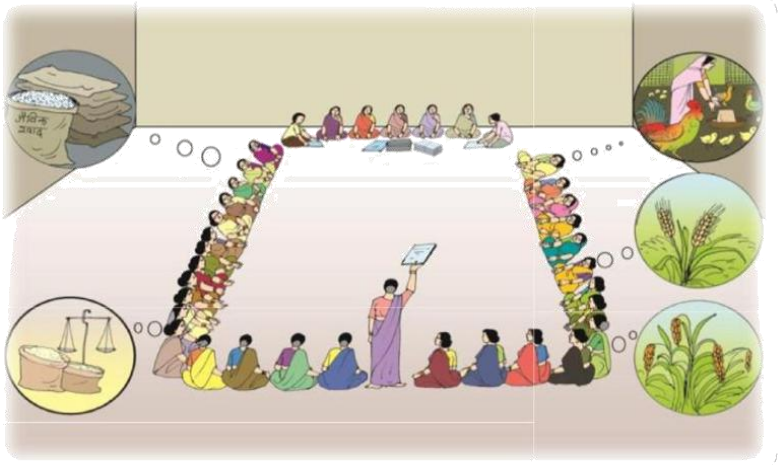

मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का संकुल स्तर पर एकीकरण (संयोजन):- मिशन के प्रयास एवं ग्राम संगठनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन जाता है जैसे :- माईक्रोफाईनांस, माईक्रोईश्योरेंस, जन वितरण प्रणाली, मनरेगा से जुड़ाव, बेरोजगार युवक-युवतियों का आरसेटी से जुड़ाव, कृषि (श्री विधि), सब्जी खेती, मुर्गी पालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियाँ । साथ ही एक समान गतिविधियों से जुड़ हुए समूह के सदस्य का प्रोडयूसर समूह एवं डेयरी सहकारी समिति बनाना एवं इनके गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। संकुल संगठन के प्रोडयूसर समूह तथा डेयरी सहकारी समिति के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए एवं उनके आयोजित बैठक मे भी भाग लेना चाहिए। इससे संकुल संगठन का विभिन्न संगठनों के साथ स्वास्थ तालमेल स्थापित होगी एवं अधिकतम सदस्यों का समायोजन आजीविका गतिविधियों में होगी। प्रोडयूसर समूह कृषि, अगरबत्ती, सब्जी

खेती एवं अन्य आजीविका गतिविधियों का समूह है, जबकि डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादन करने वाले सदस्यों का समूह है। संकुल संगठन का प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक योग्य सदस्यों का जुड़ाव विभिन्न प्रोडयूसर समूहों एवं डेयरी सहकारी समितियों से हो, जिससे उनका आजीविका संवर्धन हो सके। संकुल संगठन को ग्राम संगठन स्तर पर बने आजीविका आयोजन (Integrated Livelihood Planning) को संकुल स्तर पर समायोजित कर विश्लेषण करना चाहिए कि कौन – कौन महिलाएँ छूट गई है एवं इसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। संकुल संगठन को भूमिहीन महिलाओं के आजीविका आयोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दुग्ध उत्पादन एवं व्यवसाय करने वाले महिला सदस्यों को मिलाकर डेयरी सहकारी समिति का गठन किया जाना चाहीए। संकुल संगठन को डेयरी सहकारी समिति के आयोजित बैठक में भाग लेना चाहिए एवं निम्नलिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन संकुल स्तर पर करने का प्रयास करना चाहिएः–

- दूध को ठंढा रखने वाली मशीन की खरीददारी एवं स्वामित्व की जिम्मेदारी संकुल संगठन की होना चाहिए। संकुल संगठन को ग्राम संगठन की बैठक मे डेयरी सहकारी समिति के कार्य एवं समिति से जुड़ने से होने वाले फायदे की चर्चा करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले सदस्य समिति से जुड़ सकें।
- संकुल संगठन को ग्राम संगठन की बैठक में पशुओं (विशेषकर गाय एवं भैंस) को बीमारियों से बचाव के तरीकों के बारे में चर्चा करना चाहिए।
- संकुल संगठन को पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित कर पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन कर पशुओं का टीकाकरण, कीड़ा मारने की

दवा, पशुओं का ईलाज, अप्राकृतिक गर्भधारण आदि की व्यवस्था करना चाहिए।

- संकुल संगठन को डेयरी सहकारी समिति के खाता बहीं का संधारण और स्टॉक नियमितता में मदद करना चाहिए एवं उनके अचल संपत्तियों की जांच प्रत्येक तीन माह में करना चाहिए। संकुल संगठन को पशुओं के रखरखाव की व्यवस्था समुदाय स्तर पर करने के बारे में भी सोचना चाहिए।
- द्वितीय चरण मे संकुल संगठन को पशुओं की खरीदारी एवं ईश्योरेंस का प्रयास करना चाहिए।
- संकुल संगठन को प्रयास होना चाहिए कि छोट-छोटे किसानो का भी डेयरी सहकारी समिति बने या समिति से जुड़ाव हो, जिससे उनके दुग्ध उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा मिल सके। अगरबत्ती, पापड़ आदि का निर्माण एवं बिक्री बनाने वाले महिला सदस्यो को मिलाकर प्रोडयूसर समूहों का निर्माण किया गया है।
- गर्भवत्ती एवं प्रसव पश्चात् महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार, ग्राम संगठन के माध्यम से गर्भवत्ती एवं प्रसव पश्चात् महिलायों को चिन्हित कर उन्हें सामुदायिक पोषण संरक्षण केन्द्र (आंगनबाड़ी) की गतिविधियो एवं जुड़ने से फायदे के बारे मे विस्तृत चर्चा करना एवं उन्हें सामुदायिक पोषण संरक्षण केन्द्र से जोड़ने का प्रयास करेगा।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं जैसेः टीकाकरण, आयरन गोली, वजन जांच, ब्लड प्रेशर जांच, मधुमेह जांच, एच.आई.वी.जांच, नियमित स्वास्थ्य जांच आदि की पहुंच सामुदायिक पोषण संरक्षण केन्द्र में सुनिश्चित कराना।

- समुदाय को स्थास्थ्य, पोषण एवं साफ-सफाई के बारे में जागरूक करना एवं जिला के संबंधित विभाग, के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें समुदाय मे शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करना।
- मनरेगा से जुड़ावः- ग्राम संगठन के माध्यम से सदस्यो को मनरेगा कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा हैं। इसके अन्तर्गत् महिलाओ को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने एवं रोजगार सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा हैं।
- मिशन क्रिन्यावयन के दौरान महसूस हुआ कि दिव्यांगो समुदाय में विशेष समस्या हैं। सहयोग के अभाव में उन्हे सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल रहा हैं और वे समुदाय के मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं। इस संदर्भ में संकुल संगठन निम्नलिखित प्रयास कर सकता हैः-
- ग्राम संगठनों के माध्यम से समुदाय को दिव्यांगो के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना।
- ग्राम संगठनों के माध्यम से दिव्यांगो को चिन्हित करना।
- ब्लाक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रो के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायत /ब्लाक स्तर पर शिविर लगाकर दिव्यांगो को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।
- ब्लाक एवं जिला स्तर के संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता यंत्र, संबंधित दिव्यांगो को उपलब्ध कराने का प्रयास करना एवं जल्द निष्पादन के लिए लगातार संपर्क स्थापित करना।
- संबंधित ब्लाक एवं जिला स्तरीय विभागो के साथ समन्वय स्थापित कर योग्य दिव्यांगो को नियमित पेंशन उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

- संबंधित विभागों एवं बैंकों से समन्वय स्थापित कर योग्य दिव्यांगो को छात्रवृति एवं ऋण उपलब्ध कराने का प्रयाश करना एवं जल्द निष्पादन के लिए प्रयास करना।
- दिव्यांगो को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना उवं जरूरत के अनुसार दिव्यांगो का समूह बनाना एवं उनके आजीविका वर्धन के लिए प्रयास करना।
- बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ना :- समुदाय, विशेषकर स्वयं सहायता समूहो के सदस्यो के परिवार से जुड़े बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाना है। इस संदर्भ में संकुल संगठन निम्नलिखित भूमिका निभा सकता है:-
- ग्राम संगठन के माध्यम से बेरोजगार युवक-युवतियो को रोजगार के लिए जागरूक, प्रेरित एवं तैयारी में मदद करना।
- ग्राम संगठन के द्वारा चिन्हित करने के पश्चात बेरोजगार युवक-युवतियों का अंतिम चयन, दक्षता विकास एवं योग्य एजेंसी में स्थापित करने का प्रयास करना।
- संबंधित एजेंसी से बेरोजगार समन्वय स्थापित करना एवं जल्द निष्पादन के लिए लगातार संपर्क स्थापित करना।
- रोजगार मेलो का आयोजन कराना और चयनित सदस्यों का रोज उपलब्ध कराना
- ग्राम संगठन स्तर पर संधारित बैरोजगार पंजी का नियमित रूप से अवलोकन कर अधतन कराना ।

माईक्रो ईंश्योरेंस द्वारा समूह के सदस्यों के जीवन के खतरों एवं जोखिमों को कम करने के लिए उन्हें ईंश्योरेंस (जीवन बीमा) से जोड़ने प्रयास किया जाना हैं। इस संदर्भ मे संकुल संगठन निम्नलिखित भूमिका निभा सकता हैं:-

- ग्राम संगठन के माध्यम् से समूहो के सदस्यो को इंश्योरेंस (जीवन बीमा) की महत्ता के बार में जागरूक करना एवं उन्हे जीवन बीमा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहितकरना।
- ग्राम संगठन के माध्यम् से समूह के सदस्यो का व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्र (फार्म) भरना एवं बीमा-किस्त प्राप्त करना।
- ग्राम संगठन व्यक्तिगत आवेदन पत्रक भरने एवं बीमा-किस्त प्राप्त करने के पश्चात् संकलित पत्रक (टॉप सीट) तैयार करेगा।
- संकलित पत्रक (टॉप सीट) एवं प्राप्त बीमा-किस्त बीमा मित्र की सहायता से जमा आवेदनो की सत्यता की जांच करना एवं अधूरे आवेदन पत्रों का सुधार ग्राम संगठन के माध्यम् से करना।
- संकलित व्यक्तिगत आवेदन पत्रों का डाटा तैयार करना।
- समूह के सदस्यो को जीवन बीमा से जोड़ने का प्रयास करना।

कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़ाव कृषि (धान, गहूँ, दलहन, तेलहन, सब्जी) एवं संबंधित गतिविधियाँ ग्रामीणो के आजीविका का प्रमुख स्त्रोत हैं। इसमे किसानो को तकनीक एवं अन्य सहायता की जरूरत पड़ती हैं। इस संदर्भ में संकुल संगठन की निम्नलिखित भूमिका हो सकती हैं:-

- कृषि कार्य हेतु एक कृषि सीआरपी का अंतिम चयन करना। सीआरपी को ग्राम संगठन चिन्हित करता है।
- कृषि सीआरपी को प्रशिक्षित करना एवं उनके मानदेय का अनुमोदन करना।
- ग्राम संगठन के माध्यम् से समाकलित आजीविका आयोजन तैयार करना, मूल्यांकन करना एवं अधिक से अधिक सदस्यों को आजीविका से जोड़ने का प्रयास करना।
- ग्राम संगठन के माध्यम् से क्षेत्र से संबंधित डाटा एकत्रित करना।
- संबंधित क्षेत्र के विकासशील किसानो का चयन ग्राम संगठन के माध्यम से करना।
- फसल एवं मौसम के अनुसार संबंधित किसानों का प्रशिक्षण आयोजन करना। इसके लिए संकुल संगठन जिला / ब्लाक कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सहयोग ले सकती है।
- जिला/ब्लाक कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुचाने का कोशिश करना।
- कृषि आधारित डेमो (प्रदर्शित) करना, किसानो का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कर प्रशिक्षित करना एवं तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।
- जिला कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर किसान पाठशाला का आयोजन संकुल क्षेत्र में करना एवं किसानों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करना।

मुर्गी पालन करने वाले सदस्यो का प्रोड्यूसर (उत्पादक) समूह बनाना है एवं संकुल स्तर पर मातृ यूनिट (मदर युनिट) का निर्माण किया जाना एवं इसका संचालन संकुल संगठन के मदद से किया जाए। इस संदर्भ मे संकुल संगठन की निम्नलिखित भूमिका हो सकती हैः-

- ग्राम संगठन की बैठक के माध्यम से समूह के योग्य सदस्यों को पॉल्ट्री प्रोडयूसर समूह एवं पॉल्ट्री मदर यूनिट से जोडने का प्रयास करना।
- पॉल्ट्री मदर यूनिट के कार्यो का मासिक अवलोकन एंव मूल्यांकन करना।
- पशु सीआरपी का अंतिम चयन करना, उनके प्रशिक्षण का आयोजन करना एवं उनका दक्षता विकास करना।
- पशु सीआरपी के कार्यो का मूल्यांकन एवं उनके मानदेय का अनुमोदन करना।
- पॉल्ट्री मदर यूनिट की नियमित खाता बही के संधारण मे मदद करना एवं प्रत्येक तीन माह में चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच करना।
- पॉल्ट्री मदर यूनिट के मूगियों के टीकाकरण की व्यवस्था करना।
- पॉल्ट्री मदर यूनिट के मुर्गीयो के बिक्री की व्यवस्था करना।

संकुल संगठन के निर्माण हेतु बिन्दु : संकुल क्षेत्र में संकुल संगठन के निर्माण के लिए ग्राम संगठन को निम्न मानदंड पूरा करना चाहिए

1. कम से कम एक संकुल क्षेत्र में 10 ग्राम संगठन का निर्माण हो चुका हो।
2. ऐसे ग्राम संगठन जिसमें कम से कम 5-8 समूहों के सदस्य सदस्यता ग्रहण कर चुके हो।

संकुल स्तरीय संगठन के निर्माण के पूर्व निम्न कदम उठाना चाहिए :-

स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय की बैठकों में संकुल संगठन की अवधारणा एवं विशेषताओं की चर्चा करने के लिए टीम का गठन - स्वयं सहायता समूहों की बैठक में सीआरपी, मास्टर पुस्तक संचालक एवं ग्राम संगठन की बैठकों में सीआरपी एवं संकुल सदस्य आदि की टीम संकुल संगठन की अवधारणा एवं विशेषताओं पर चर्चा करेगी।

प्रथम कदम - समूह की बैठक में संकुल संगठन की अवधारणा एवं आवश्यकता के बारे में चर्चा।

प्रेरक एवं सीआरपी प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में संकुल संगठन की अवधारणा एवं उसकी आश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जिस प्रकार ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह को ग्राम स्तर पर नेतृत्व प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार संकुल स्तरीय संगठन संकुल स्तर पर बने ग्राम संगठनो को नेतृत्व प्रदान करेगा एवं ग्राम संगठनों के बीच आपस में समन्वय स्थापित करेगा। संकुल संगठन के सदस्य संकुल स्तर पर बने आस-पास के ग्राम संगठन के सदस्य होगें। ग्राम संगठनों द्वारा निर्मित कार्यकारणी के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगा कहने का तात्पर्य है कि समस्त ग्राम संगठन के कार्यकारणी सदस्य संकुल स्तरीय संगठन सामन्य सभा के सदस्य होगे और संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारणी में प्रत्येक ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव भाग लेगें। इन प्रतिनिधि द्वारा संकुल संगठन के कार्यकारणी का निर्माण होगा। इन कार्यकारणी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया जायेगा। प्रेरक एवं सी.आर.पी. संकुल संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्न विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे :-

- संकुल संगठन, संकुल स्तर पर बड़े मुद्दों को चिह्नित करेगा।
- संकुल संगठन, गैर सरकारी संगठन एवं सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करेगा और संबंधित कार्यक्रमों से ग्राम संगठन के सदस्यों को जोड़ेगा।
- प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को चिह्नित करेगा।

- ग्राम संगठन के माध्यम से समूह के सदस्यों को सूक्ष्म उद्यम विकास में सहयोग प्रदान करेगा।
- ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ेगा।
- ब्लाक स्तर की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुँचाने की कोशिश करेगा।
- बीमा सेवाओं जैसे- जीवन बीमा, पशु बीमा, कृषि बीमा इत्यादि से ग्राम संगठन के सदस्यों को जोड़ेगे।
- संकुल संगठन, सामूदाय आधारीत संसाधन व्यक्तियों को चिन्हित, अंतिम चयन, प्रशिक्षण एवं उनके कार्यो का मूल्यांकन करेगा।
- संकुल संगठन समय-समय पर ग्राम संगठनो का मूल्यांकन करेगा एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में मदद करेगा।
- संकुल संगठन, ग्राम संगठन के गुणवत्ता कार्य का मूल्यांकन करेगा।

दूसरा कदम - ग्राम संगठन की बैठक में संकुल संगठन का उद्देश्य, विशेषता एवं भूमिका पर चर्चा।

संकुल समन्वयक, रिसोर्स पुस्तक संचालक एवं सी.आर.पी. ग्राम संगठन की बैठक में संकुल संगठन का उद्देश्य, विशेषता एवं भूमिका पर चर्चा करेंगे और उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। संकुल संगठन का निर्माण निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए-

1. ग्राम संगठन के सदस्यो को प्रशिक्षण एवं अन्य वैधानिक मामलों में सहायता करना।
2. ग्राम संगठन तथा समूह को सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओ के कार्यक्रमो से जोड़ना।
3. बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओ से ग्राम संगठन एवं ग्राम संगठन के सदस्यो को जोड़ना और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

ग्राम संगठन द्वारा निर्मित संकुल संगठन की निम्न विशेषताएँ होगी –

1. संकुल स्तर पर आस-पास के अधिक से अधिक 25 से 35 ग्राम संगठन संकुल संगठन के सदस्य होगें, इसलिए संकुल संगठन, ग्राम संगठनों के लिए एक केन्द्रीय संस्था होगी।
2. ग्राम संगठन की कार्यकारणी के पदाधिकारी संकुल संगठन की सामान्य सभा / आम सभा के सदस्य होगे।
3. संकुल संगठन का भी एक कार्यकार्यरणी होगी जिसे EC कहेगे, जिसके सदस्य प्रत्येक ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव होगें।
4. संकुल संगठन के कार्यो को देख-रेख करने के लिए 5 सदस्यों को ओ. बी के रूप में चयन किया जायेगा, जिसका निर्वाचन प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जायेगा। प्रतिनिधि निकाय से तात्पर्य है कि सभी ग्राम संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा होगा।
5. संकुल संगठन में कार्य प्रेरित उपसमितियाँ होगी, जो ओ.बी द्वारा निर्धारित कार्यो को संपादित करेगी। इसका निर्माण संकुल संगठन की कार्यकारणी सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

संकुल समन्वयक, संकुल संगठन पुस्तक संचालक एवं सी.आर.पी. ग्राम संगठन की बैठक में संकुल संगठन का कार्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में भी फैसिलिटेट करेगें –

ग्राम संगठन पुस्तक संचालक, संकुल समन्वयक एवं सी.आर.पी. ग्राम संगठन की बैठक में संकुल संगठन के फायदों के बारे में चर्चा करने के लिए प्रेरित करें, जैसे –

1. संकुल संगठन, ग्राम संगठनो के बीच समन्वय स्थापित करेगा। इसमें एक ग्राम संगठन दूसरे ग्राम संगठन के साथ अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करेगा, जिससे उनको अपनी समस्याओ को सुलझाने में मदद मिलेगी।

2. संकुल संगठन आवश्यकतानुसार ग्राम संगठन को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी जानकारियाँ देगा तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
3. संकुल स्तर पर ग्राम संगठन एवं उसके समूह को बैंक से जोड़ेगा।
4. संकुल संगठन, ग्राम संगठन को सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा।

तीसरा कदम – ग्राम संगठन में शैक्षणीक भ्रमण पर चर्चा

ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह में संकुल संगठन के फायदों के बारे में चर्चा करने के बाद, ग्राम संगठन के पदधारियों को दूसरे संकुल संगठन में सीखने हेतु भ्रमण करवाना चाहिए। भ्रमण के पूर्व निम्न बातो को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसे –

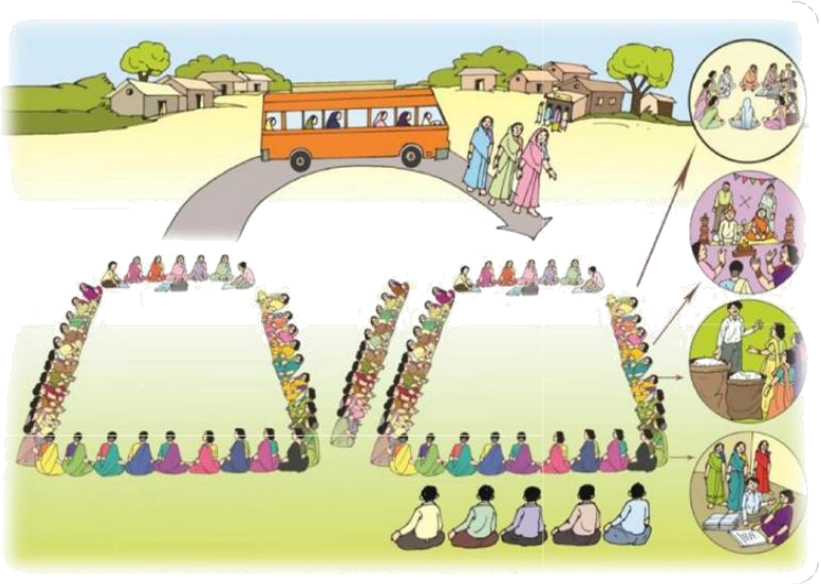

1. शैक्षणीक भ्रमण का उद्देश्य
2. अनुभवों का आदान –प्रदान करना।
3. संकुल संगठन के निर्माण की प्रक्रिया।
4. संकुल संगठन की बैठक एवं एजेंडा।
5. उपसमितियों का निर्माण।
6. संकुल संगठन द्वारा बनाये गये सामान्य नियम।
7. शैक्षणिक भ्रमण के लिए प्रतिभागियो की सूची।
8. शैक्षणिक भ्रमण के लिए संकुल संगठन ।
9. शैक्षणिक भ्रमण की तारीख, दिन एवं समय का निर्धारण।
10. जिस संकुल संगठन में शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाना है, उसे कम-से कम एक सप्ताह पूर्व सूचना दे।

11. साथ ही सुनियोजित तरीके से शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जिम्मेवारियाँ तय करनी चाहिए।
12. ग्राम संगठन द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियो का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम/ एक्सपोजर विजिट ग्राम संगठन द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को निश्चित तारीख, दिन एवं समय पर दूसरे संकुल संगठन में भ्रमण कराया जाना चाहिए। भ्रमण के दौरान पूर्व निर्धारित एजेंडा के आधार पर चर्चा करना चाहिए जैसे :

- आपने संकुल संगठन का निर्माण कैसे किया ?
- संकुल संगठन की बैठक कब होती हैं और बैठक में चर्चा का मुख्य विषय क्या होता हैं ?
- क्या आपने उपसमिति का निर्माण किया हैं ? यदि किया हैं तो कैसे ?
- संकुल संगठन क्या कार्य कर रहा हैं ?

शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान संकुल सदस्य/ संकुल समन्वयक की जिम्मेवारी –

1. भ्रमण कार्यक्रम से पहले क्या करना चाहिए ?
   - ग्राम संगठन की बैठक मे भाग लेकर शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर बातचीत करना चाहिए।
   - उक्त बैठक में संकुल संगठन की अवधारणा के बारे मे चर्चा करना चाहिए।
   - उक्त बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कर सबको पढ़कर सुनाना चाहिए।

2. शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान क्या करना चाहिए ?

- जिस संकुल में भ्रमण कार्यक्रम रखा गया है, उस गाँव में नियत समय से पहले पहुँचना चाहिए।
- संकुल की बैठक में भाग लेकर संकुल संगठन की अवधारणा, संकुल संगठन के निर्माण की प्रक्रिया, सामान्य नियम इत्यादि से संबंधित जानकारी एकत्रित करना चाहिए।

3. शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के बाद क्या करना चाहिए ?

- शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम से वापस आने के बाद दूसरी बैठक में भ्रमण के दौरान सीखी गई बातों पर चर्चा की जानी चाहिए।
- चर्चा के उपरांत सामूहिक निर्णय द्वारा सीखी गयी बातों को अमल में लाने के लिए प्रस्ताव पारित कर एक कार्ययोजना बनाना चाहिए एवं कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज करना चाहिए।

संकुल समन्वयक और ग्राम संगठन के कार्यकर्त्ताओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश –

- संकुल संगठन निर्माण के पूर्व के मापदंडों को ध्यान मे रखते हुए ग्राम संगठन और उससे जुड़े स्वयं सहायता समूह में संकुल संगठन के बारे में चर्चा करना चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन की बैठक मे ही संकुल संगठन के उद्देश्यों के बारे मे चर्चा करना चाहिए।
- चर्चा करने से पूर्व संकुल संगठन के बारे में पूर्ण जानकारी रखना चाहिए और उससे संबंधित विषयवस्तु तैयार करना चाहिए।

- यदि संकुल संगठन के बारे में स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन को समझ विकसित हो जाये, तो संकुल संगठन के निर्माण के बारे में चर्चा करना चाहिए।
- यदि संकुल संगठन के निर्माण के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो ग्राम संगठन के सदस्यों को भ्रमण के लिए चयनित करें।
- शैक्षणीक भ्रमण कार्यक्रम की तिथि एवं समय का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय का पालन न होने से सीखने-सीखाने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

उक्त कार्य को संकुल सदस्य एवं समन्वयक द्वारा पूर्ण गंभीरता से करने के उपरांत ग्राम संगठनों की बैठक में संकुल स्तरीय संगठन निर्माण को लेकर प्रस्तावित कराना चाहीयें ।

संकुल स्तरीय संगठन के निर्माण की प्रक्रिया एवं उसकी नियमावली निम्नानुसार होना चाहीयें।

..... आजीविका महिला संकुल संगठन, ...

1. नाम : यह ग्राम संगठन का संकुल संगठन .....आजीविका महिला संकुल संगठन.....के नाम से जाना जायेगा जिसका अंग्रेजी अनुवाद ....होगा।
2. पता : ..... आजीविका महिला संकुल संगठन .....का कार्यालय ग्राम..... ...., पोस्ट....., थाना....., ब्लाक ....., जिला.....में उपस्थित रहेगा।
3. कार्य क्षेत्रः ..... आजीविका महिला संकुल संगठन, ... का कार्य क्षेत्र.....ब्लाक के.....पंचायतों तक सीमित होगा।
4. उद्देश्यः ..... आजीविका महिला संकुल संगठन, ...संकुल स्तर पर ग्राम संगठन के लिए एक ऐसा संगठन होगा जो ग्राम संगठन को एक स्वप्रबंधित आर आत्म निर्भर संस्था के रूप मे विकसित करने के लिए निरंतर सहयोग एवं मार्गद" ान करेगा ताकि सहभागिता तथा भागीदारी के आधार पर ग्राम संगठन के लिए सामाजिक पूँजी का निर्माण हो सके। सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थाओं से ग्राम संगठन को जोड़ते हुए संकुल संगठन का मुख्य दायित्व संसाधनों का जुटाना एवं जुड़ाव भी होगा ताकि सदस्यों का समन्वित सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मदद मिल सके।
5. कार्य एवं सेवाएँः
    1. ग्राम संगठन के सदस्यों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं को लागू करना एवं वित्तीय तथा तकनीकी परामर्श देना।
    2. ग्राम संगठन के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन जमा का प्राप्त करना।
    3. ग्राम संगठन के माध्यम से सदस्यों को उधारी, अग्रिम और अन्य प्रकार के ऋण उपलब्ध कराना।
    4. ग्राम संगठन के सदस्यों को बीमा और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देना एवं उसे उपलब्ध कराना।

5. आय को बढ़ाने के लिए सभी तरह के आवश्यक सेवाओं को मुहैया कराना तथा विशेष रूप से जीवन की गुणवत्ता के सुधार हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवास के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को लागू करना।
6. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ग्राम संगठन के सदस्यों और उसके प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण करना।
7. ग्राम संगठन के लिए योजना तैयार करना और उसे लागू करना। ग्राम संगठन के हित को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरणों, दाता संस्थाओं आदि के साथ सम्पर्क करना तथा उनसे सहायता प्राप्त करना।
8. ग्राम संगठन को वित्तीय सहायता के अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाएँ जैसे : सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय, रोजगार, मधनिषेध इत्यादि कार्यक्रमों से जोड़ना। आवश्यकतानुसार ग्राम संगठन को वस्तुओं का क्रय–विक्रय, भण्डारण, उनके गुणवत्ता का आकलन में सहयोग करना तथा सदस्यों के आय एवं बचत म वृद्वि के लिए आंतरिक एवं बाहय संसाधनों का उपयोग करना।
9. ग्राम संगठन के सदस्यों के लिए स्थाई आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करना। सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं उनका अनुश्रवण करना।
10. ग्राम संगठन के कार्यों की समीक्षा करना एवं परामर्श देना।
11. अंकेक्षक का दल तैयार करना, नियुक्ति करना एवं ग्राम संगठन का अंकेक्षण करवाना।
12. अन्य कार्य, जो संकुल संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक एवं आवश्यक है, को सम्पादित करना।

6. सदस्यता प्राप्त करने की पात्रताः

ग्राम संगठन को संकुल संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्न मापदंड होंगे–

- ग्राम संगठन जो छः माह पुराना हो।
- ग्राम संगठन जो संकुल संगठन के कार्य क्षेत्र में हो।

- संकुल संगठन द्वारा समय–समय पर निर्मित प्रशासन के उपनियमों एवं नियमों एवं आचार संहिता के प्रतिनिष्ठा रखता हो।
- जो ग्राम संगठन शेयर के हिसाब स शेयर खरीदने के लिए तैयार हो।

7. सदस्यता की समाप्ति :

निम्नांकित मामले में संकुल संगठन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी

- यदि कोई ग्राम संगठन संकुल संगठन से शेयर पूंजी वापस लेता हो।
- संकुल संगठन के उद्देश्यों के विरूद्व कार्य करता हो।
- संकुल संघ द्वारा बनाये गये नियमों का अनुपालन नहीं करता हो।
- बिना सूचना के तीन आम सभाओं में अनुपस्थित रहा हो।

8. संकुल स्तरीय संगठन के समान्य निकाय का गठन (आम सभा) का गठनः

संकुल संगठन की आम सभा का गठन, ग्राम संगठन की कार्यकारणी सदस्यों द्वारा निर्वाचित पद्वाधिकारीयों के द्वारा होगा कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक ग्राम संगठन के पद्वाधिकारी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ये सभी संकुल संगठन की आम सभा के सदस्य होगे।

9. संकुल स्तरीय संगठन की आम सभा या सामन्य निकाय के कार्य एवं उत्तरदायित्व –

- आम सभा का निम्न कार्यो के प्रति उत्तरदायित्व होगा– संकुल संगठन के उपविधि का अनुमोदन करना एवं उसमें संशोधन करना।
- संकुल संगठन की सदस्यता तथा इस के काम–काज की समीक्षा करना।
- सकुल स्तरीय संगठन के प्रतिनिधियों का चयन करना एवं उसे विघटित करना।
- कार्यकारणी के कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करना एवं कार्यकारणी के कार्यों की समीक्षा करना।
- संसाधनों का संग्रहण करना एवं उसके उपयोग की समीक्षा करना।

- वार्षिक योजना का निर्माण करना एवं बजट का अनुमोदन करना।
- वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा का अनुमोदन करना।
- अंकेक्षकों की नियुक्ति करना एवं उसे कार्य से हटाना।
- शुद्व आधिक्य (लाभ" ा का वितरण) का वितरण अथवा घाटा का अभियोजन करना।
- अन्य संगठनों के सहयोग की समीक्षा करना।

10. वार्षिक आम सभा : कार्यकारणी द्वारा वार्षिक सामान्य निकाय की बठक पत्येक वर्ष बुलाया जायेगा।

11. आम सभा आयोजन के लिए सूचना और कोरमः कार्यकारणी के निर्णय के उपरांत सचिव कम से कम 15 दिन पूर्व आम सभा बुलाने की सूचना देगा। सचिव सभी सदस्यों को सूचना मौखिक रूप में या पोस्ट से भेजेगा। विशेष परिस्थिति में आमसभा कम अवधि मे भी बुलायी जा सकती है। आम सभा का कोरम कुल सदस्यों के कम से कम 1/5 सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा। यदि आमसभा में कोरम पूरा नहीं होता है तो सभा स्थगित कर दो जाएगी, किंतु 30 दिनों के अंदर आम सभा बुलाना आवश्यक होगा। इस प्रकार के स्थगित आम सभा के लिए कोरम आवश्यकनहीं होगा।

12. संकुल स्तरीय सगंठन की कार्यकारणी (EC) का गठन एवं सदस्यों का चक्रीय बदलावः जिन ग्राम संगठनों द्वारा संकुल संगठन की सदस्याता प्राप्त की है उन सभी ग्राम संगठन के

अध्यक्ष एवं सचिव को मिलाकर संकुल संगठन की कार्यकारणी का गठन किया जायेगा। ग्राम संगठन की कार्यकारणी द्वारा भेजे गये पदधारियों का कार्य काल दो वर्ष का होगा।

13. संकुल संगठन कार्यकारणी (EC) का कार्य एवं उत्तरदायित्वः कार्यकारणी (EC) का निम्न कार्य एवं उत्तरदायित्व होगा–

- संकुल संगठन के उपविधि का निर्माण करना।

- ग्राम संगठन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को चिह्नित करना एवं प्रशिक्षण कैलेंडर बनाना, साथ ही प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित करना।
- ग्राम संगठन को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं उससे संबंधित परामर्श देना।
- सदस्यता पात्रता मानदंड के अनुसार सदस्यों की सदस्यता स्वीकार करना एवं उनकी सदस्यता को समाप्त करना।
- ग्राम संगठन के कार्यों तथा कर्मचारियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करना।
- संकुल संगठन के वित्तीय परिचालन संबंधी नीति, योजना एवं बजट का निर्माण करना एवं समीक्षा करना।
- संकुल संगठन के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना। संकुल संगठन के लिए कार्यालय प्रबंधन, कर्मचारी प्रबंधन, कोष प्रबंधन के साथ–साथ अन्य विषयों एवं मुद्दों पर नीतियाँ तैयार करना।
- संकुल संगठन के कार्मिक नीति के अनुसार पदाधिकारियों को निर्वाचित करना तथा कार्मिकों को नियुक्त करना एवं उसे हटाना।
- विशिष्ट कार्य के लिए उप–समितियों का निर्माण करना तथा उसे पुनगठित करना।
- वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय विवरणी, वार्षिक योजना एवं बजट को आम सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना। अंकेक्षण एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसे आम सभा से अनुमोदन करवाना।
- संकुल संगठन प्रतिनिधियों के कार्यो एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करना।
- उप–समिति के निर्माण में संकुल संगठन प्रतिनिधियों की सहायता करना।
- संकुल संगठन प्रतिनिधियों के कार्यो की समीक्षा करना।
- आम सभा द्वारा प्राधिकृत अन्य कार्यों को सम्पादित करना।

14. संकुल संगठन कार्यकारणी (EC) की बैठक के लिए कोरम : कार्यकारणी की बठक को कोरम कुल सदस्यों के कम से कम आधे की संख्या से अधिक होगी।

15. संकुल संगठन कार्यकारणी (EC) कार्यावधिः प्रथम बार की कार्यकारणो सदस्यों की कार्यावधि अधिकतम 2 वर्षों से अधिक की नहीं होगी। कार्यकारणी सदस्यों में प्रत्येक दो साल पर एक–तिहाई सदस्यों का बदलाव होगा।

16. संकुल संगठन कार्यकारणी का सदस्य बनने की अयोग्यता/अपात्रताः सदस्य के रूप में वह किसी समय मताधिकार खो दिया हो, या उपविधि के प्रावधानानुसार सदस्य नहीं रह जाय अथवा सदस्य बने रहने का अधिकार खो दिया हो।

17. कार्यकारणी (EC) की बैठकः कार्यकारणी सदस्यों की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी। यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो वह कार्यकारणी सदस्यों की आकस्मिक बैठक बुला सकती है।

18. कार्यकारणी (EC) की बैठकों के लिए सूचना नोटिस (EC) की बैठक की तिथि, स्थान एवं समय (EC) की प्रथम बैठक में ही तय कर लिया जायेगा। बैठक की सूचना सचिव द्वारा 7 दिन पूर्व भेज दी जायेगी। विशेष बैठक संक्षिप्त सूचना के आधार पर बुलायी जा सकती है।

19. संकुल संगठन पदाधिकारियों (ओ. बी) का चयन : संकुल संगठन में समस्त ग्राम संगठनों के अध्यक्ष एवं सचिव जो कि संकुल संगठन के कार्यकारणी के सदस्यों होगे उनके द्वारा संकुल संगठन के पदाधिकारियों का चयन अथवा निर्वाचन किया जायेगा। पहली बैठक में ही आम सहमति के आधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्वाचन दो वर्षों के लिए होगा। प्रत्येक दो वर्ष के बाद कार्यकारणी द्वारा पदधारियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

20. अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्वः संकुल संगठन के तमाम बैठकों की अध्यक्षता करना। संकुल संगठन का अन्य मंचों/ संगठनों में प्रतिनिधित्व करना। संकुल संगठन के बैंक खाता का संचालन करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उक्त बैठक की अध्यक्षता किसी अन्य वरिष्ठि सदस्य द्वारा की जा सकेगी।

21. सचिव/ उपसचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व : संकुल संगठन की तमाम बैठकों में शामिल होना तथा बैठकों में लिये गये निर्णयों को लागू करना। संकुल संगठन के कागजातों एवं सम्पत्तियों की देख–रेख करना। व्यवसाय और प्रशासन नियमावली के अनुसार संकुल संगठन के कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके अधिकार, कार्य, उत्तरदायित्व और वेतन का निर्धारण करना। संकुल संगठन के तमाम कमचारियों पर नियंत्रण रखना। संकुल संगठन की ओर से पत्रों पर दस्तखत करना और पत्राचार करना। संकुल संगठन के बैंक खाता का संचालन करना।

22. कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व : संकुल संगठन की तमाम बैठकों में शामिल होना। कार्यकारणी के नियंत्रण में कोष का पबंधन करना और संकुल संगठन का लेखा दुरुस्त रख ने की व्यवस्था करना। संकुल संगठन की तमाम बैठकों में वित्तीय हिसाब–किताब पेश करना। संकुल संगठन के बैंक खाता का संचालन करना।

23. सदस्यता शुल्क, शेयर पूँजी एवं बचत : संकुल संगठन में ग्राम संगठन की सदस्यता के लिए सदस्यता शुल्क निर्धारित होगा। संकुल संगठन की अधिकृत शेयर पूँजी होगा। प्रत्येक ग्राम संगठन कम से कम निर्धारित शेयर खरीदेगा। कोई भी ग्राम संगठन के उपविधि के नियमानुसार अपना हिस्सा पूँजी सदस्यता समाप्ति के बाद वापस ले सकता है। ग्राम संगठनों द्वारा संकुल संगठन में प्रति माह निर्धारित रा" ा बचत के रूप में जमा की जायेगी सदस्याता समाप्त करने पर उपविधि के नियमानुसार बचत बाद वापस ले सकता है।

24. वित्तीय स्रोत : संकुल संगठन का निम्न वित्तीय स्रोत होगा – सदस्यता शुल्क, सेवा शुल्क, दान, चंदा, शेयर पूँजी, बचत तथा सदस्यों द्वारा प्राप्त अन्य जमा। सामान्य एवं विशेष प्रयोजनों के लिए सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, विकास अभिकरणों तथा गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान एवं ऋण। निवेश से प्राप्त आय।

25. अधिशेष का बँटवारा : संकुल संगठन वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल आय का अधिक से अधिक 15 प्रतिशत भाग ही अपने सदस्यों के बीच लाभांश के रूप में वितरण कर सकता है।

26. बैंक खाता का संचालन : संकुल संगठन का कोई भी बैंक खाता संकुल संगठन के नाम से ही खोला जाएगा जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। यदि

संकुल संगठन द्वारा परियोजना में कार्य प्रारंभ किया जाता है तो विशेष परियोजनाओं के आय व्यय कार्यों के लिए बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा। खाता का संचालन संकुल संगठन के अध्यक्ष, सचिव या अन्य प्राधिकृत सदस्य करेंगे।

27. आरक्षण का प्रावधानः संकुल संगठन पदाधिकारियों में 2 सीट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिए एवं 2 सीट पिछड़ा / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी।

28. उपविधि में संशोधन : आम सभा द्वारा मताधिकार प्राप्त उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा संकुल संगठन की उपविधि में संशोधन किया जायेगा। परंतु कार्यकारणी के गठन एवं उसकी शक्तियों से संबंधित किसी उपबंध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

29. संकुल संगठन में आव" यक कर्मीयों की नियुक्ति : संकुल संगठन आपने दस्तावेजीकरण के लिये एक लेखा कर्मचारी की नियुक्ति करेगा जो कि पि" ाक्षित होना अनिवाय होगा। साथ ही समय समय पर आव" यकता अनुसार कर्मीयों का चयन कर नियुक्त करेगा। इनके मानदेय का निर्धारण कार्य एवं ग्राम संगठन की आय के आधार पर होगा।

30. लेखांकन वर्षः ..... आजीविका महिला संकुल संगठन, ...का लेखांकन वर्षगत वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से अगामी वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक का होगा।

31. विघटन की रीतिः ..... आजीविका महिला संकुल संगठन, ... का विघटन आम सभा के सदस्यों द्वारा पारित दो–तिहाई बहुमत से होगा। इस उपविधि को.... .....आजीविका महिला संकुल संगठन, ...के सदस्यों द्वारा दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न ..... में स्थल ..... पर श्रीमतो ..... की अध्यक्षता में अनुमोदित किया जा चुका है।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर .....आजीविका महिला संकुल संगठन, ...

कार्यकारणी के सदस्यों की सूची

क्र.	प्रतिनिधि निकाय के सदस्यों का नाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

पृष्ठ संख्या ..... से ..... पर उल्लखित क्रमांक में सदस्यों के हस्ताक्षर की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

प्रमाणित किया जाता है कि यह ..... आजीविका महिला संकुल संगठन, ...के सदस्यों द्वारा आहुत बैठक में अंगीकृत उपविधि की सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर ..... आजीविका महिला संकुल संगठन, ...

अध्यक्ष के हस्ताक्षर सचिव के हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर